

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ (राज.)

पम्मी आदि बनाम मखन सिंह आदि

प्रकरण का प्रकार 223 आरटीएक्ट क्रमांक 43/2006 (2006/00095)

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
07.06.2022	<p>पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रार्थना-पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी दिनांक 15.03.2022 पर उभयपक्ष को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि रेस्पोजेण्ट संख्या 20/1 जगजीत सिंह का दिनांक 31.01.2022 को स्वर्गवास हो चुका है, जिसके जायज वारिसान प्रार्थना-पत्र में अंकित किये किये गये हैं। प्रार्थना-पत्र अन्दर मियाद है, लिहाजा रेस्पोजेण्ट संख्या 20/1 जगजीत सिंह के वारिसान को अपील में पक्षकार बनाया जावे।</p> <p>विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना-पत्र पर आपत्ति पेश की और प्रार्थना-पत्र खारिज करने का कथन किया।</p> <p>उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना-पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत किया गया है। लिहाजा न्यायहित में प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है एवं रेस्पोजेण्ट संख्या 20/1 जगजीत सिंह के वारिसान को बतौर रेस्पोजेण्ट पक्षकार बनाने के आदेश दिये जाते हैं। संशाधित शीर्षक पेश हो।</p> <p>इस प्रकरण में प्राथमिक डिक्री के विरुद्ध द्वितीय अपील राजस्व मण्डल अजमेर में जैरकार होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख राजस्व मण्डल अजमेर में गया हुआ होना बताया गया। ऐसी स्थिति में इस अपील की कार्यवाही राजस्व मण्डल में विचाराधीन अपील के निर्णय तक स्थगित की जाती है। पत्रावली नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर की जावे। राजस्व मण्डल के निर्णय होने के बाद इस पत्रावली में मुताबिक कानून आईन्दा कार्यवाही की जा सकेगी।</p> <p style="text-align: right;"><i>Lavis</i> 07/06/22</p> <p style="text-align: center;">राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़</p>	